

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 11/03/2017

//आदेश//

क्रमांक एफ 11-16/2017/1/9 : राज्य शासन द्वारा प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा जी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु "नर्मदा सेवा मिशन" के गठन का निर्णय लिया जाता है।

नर्मदा सेवा मिशन निम्न उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कार्य करेगा -

1. वृक्षारोपण के माध्यम से नदी तटीय क्षेत्र का संरक्षण।
2. उन्नत स्वच्छता प्रबंधन, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता प्रबंधन।
3. जल संग्रहण एवं नदी कछार क्षेत्र विकास।
4. प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन।
5. जैविक खेती व गुड एग्रिकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहन, संवेदनशील एवं स्वच्छ कृषि का विकास।
6. नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन को आजीविका से जोड़ना।
7. नदी संसाधनों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित करना।
8. नदी क्षेत्र में स्वस्थ पारिस्थिकीय तंत्र का विकास करना।
9. नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समाज की क्षमता वर्धन एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।
10. नर्मदा तटीय क्षेत्र में नशामुक्त समाज का निर्माण करना।

नर्मदा सेवा मिशन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा -

- (i) नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु नर्मदा तटीय क्षेत्र में वन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण, पर्यटन, नगरीय विकास तथा आवास, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, पशुपालन,

निरंतर.....2/-

राजस्व, खनिज, संस्कृति, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं उद्यम, ऊर्जा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों द्वारा संचालित कार्यों का मूल्यांकन एवं समन्वय करना।

- (ii) नर्मदा तटीय क्षेत्र में वानस्पतिक आच्छादन एवं वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु निजी एवं शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु कार्य करना।
- (iii) नर्मदा तटीय क्षेत्र में मनुष्य की स्वच्छ जीवन शैली जैसे - खुले में शौच से मुक्ति आदि विकसित हों इस दिशा में कार्य करना।
- (iv) कृषि की आधुनिक पद्धतियों के कारण नदी एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर वैकल्पिक कृषि के विकास जैसे जैविक खेती को प्रोत्साहन आदि पर कार्य करना।
- (v) प्रदूषण के कारकों की पहचान कर उनके निवारण की दिशा में कार्य करना।
- (vi) नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन में आजीविका सुनिश्चित करते हुये समाज की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में कार्य करना।
- (vii) नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नवीनतम तकनीकों का विकास, अनुसंधान एवं अंगीकरण करने की दिशा में कार्य करना।
- (viii) "नमामि देवि नर्मदे" नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- (ix) नर्मदा नदी के अस्तित्व की चुनौतियों को कम करने की दिशा में सतत प्रयास करना।
- (x) नर्मदा नदी के संरक्षण, वानस्पतिक एवं जल संरक्षण की प्राचीन पारम्परिक पद्धति का संकलन एवं दस्तावेजीकरण कराना।
- (xi) नर्मदा कछार में जैव विविधता के संरक्षण हेतु शासनाधीन संस्थानों द्वारा किये जा रहे कार्यों को गति देने की दिशा में कार्य करना।
- (xii) प्रदेश में वर्तमान में नर्मदा सेवा हेतु कार्यरत स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों की शासन के साथ सहभागिता सुनिश्चित करना।
- (xiii) समाज के समस्त वर्गों को नदी के संरक्षण के प्रति साक्षर करने के लिये नर्मदा सेवा केन्द्रों अथवा नर्मदा ज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन।
- (xiv) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को नर्मदा संरक्षण के कार्यों से जोड़ना।

निरंतर.....3/-

- (xv) नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र में धार्मिक परिवेश की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे इस दिशा में कार्य करना।
- (xvi) नर्मदा के संरक्षण में शासन के साथ समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- (xvii) नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु अनुदान राशि स्वीकार करना एवं नर्मदा संरक्षण हेतु वर्तमान तक पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/लोक न्यासों की कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु अनुदान राशि स्वीकृत करना।
- (xviii) नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज में सहभागिता हेतु विभिन्न प्रकार के महोत्सवों जैसे वन एवं नदी महोत्सव आदि के आयोजन हेतु संबंधित विभागों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- (xix) नर्मदा तटीय क्षेत्र में स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने हेतु कार्य करना।
- (xx) ऐसे समस्त कार्य करना अथवा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो मिशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक हों।

नर्मदा सेवा मिशन द्वारा निम्न विभागों के सामने दर्शाई गई गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं समन्वय किया जायेगा-

क्र.	विभाग	रणनीतिक कार्य	समय-सीमा
1.	वन विभाग	गर्मियों में जंगलो में सूखे पत्तों के कारण आग लगाने की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना तैयार करना एवं क्रियान्वयन प्रारंभ करना - गर्मियों में जंगलो में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु संयुक्त वन प्रबंध समितियों के सहयोग से कार्य योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना।	11 मई, 2017
		वनक्षेत्र में जल संग्रहण हेतु उपयुक्त स्थानों का चिह्नंकन कर लघु एवं बड़ी संरचनाओं का निर्माण करना - वनक्षेत्र में उपयुक्त स्थानों का चिह्नंकन कर वनों के विकास एवं वन्यप्राणियों हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं बड़ी संरचनाओं का निर्माण करना।	

निरंतर.....4/-

		वन उपयोग हेतु टिशू कल्चर के माध्यम से पौधे तैयार करने हेतु लैब की स्थापना - वन विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इंदौर में स्थापित एक टिशू कल्चर लैब का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार करना ।	
		नर्मदा नदी के जीआईएस मैपिंग का कार्य करना।	
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	<p>नर्मदा के किनारे स्थित ग्रामों को खुले में शौच जाने से मुक्त कराना।</p> <p>मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य कराना।</p> <p>ग्राम पंचायतों में Biodegradable and nonbiodegradable कचरा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित कर विभिन्न यूनिट स्थापित करना ।</p> <p>नर्मदा एवं नर्मदा की सहायक नदियों के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों की भूमिका का निर्धारण करना।</p> <p>सभी धर्मों के त्यौहारों पर मूर्तियों एवं ताजिये आदि के विसर्जन के लिये पृथक से कुण्ड एवं स्थान तैयार करना।</p> <p>नर्मदा में मिलने वाले नाले एवं कचरों के बिन्दुओं की पहचान कर, इन्हें रोकने का कार्य करना ।</p> <p>नर्मदा तटीय स्थलों पर शव को नर्मदा में जलदाग के स्थान पर अग्निदाग कर सकें इस हेतु मुक्तिधाम स्थापित करना।</p> <p>नर्मदा तट पर निर्मित घाटों पर महिलाओं हेतु पृथक वस्त्र बदलने हेतु चेंजिंग रूम के साथ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना।</p>	11 मई, 2017
3.	कृषि विकास तथा किसान कल्याण	<p>जैविक कृषि के प्रमाणीकरण हेतु कृषकों का पंजीयन कराना। (प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 एकड़ भूमि)</p> <p>कृषि से निकलने वाले कचरे से खाद बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं यूनिट स्थापित करना। (प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक)</p> <p>नरवाई न जलाने हेतु जनजागरूकता एवं प्रतिबंध।</p> <p>कृषि वानिकी अपनाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षित कराना तथा चिन्हित कृषकों को कृषि वानिकी की दृष्टि से उपयोगी पौधे वन विभाग से प्राप्त कर इच्छुक कृषकों को उपलब्ध कराना।</p>	11 मई, 2017

निरंतर....5/-

		<p>जल एवं मृदा प्रबंधन की तकनीकी जानकारी का कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार।</p> <p>विविध खेती (Diversified farming) को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को प्रशिक्षित करना तथा विविध खेती के सफल मॉडल, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित करना।</p> <p>खाना बनाने हेतु लकड़ी का उपयोग रोकने के लिये अधिक से अधिक गोबर गैस एवं बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200)</p> <p>नर्मदा कैचमेंट एरिया से संबंधित समस्त खेतों में मेढ़ बंधान करना।</p> <p>जैविक कृषिगत उत्पादों के सुनियोजित विक्रय हेतु संबंधित क्षेत्रों की मंडियों में पृथक से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करना।</p> <p>मृदा प्रबंधन संबंधी कार्य।</p>	
4.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	<p>मत्स्य पालन की नीति 2008 के अनुसार नदियों में विष, डायनामाईट, विद्युत प्रभाव से मत्स्याखेट करने के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान, म.प्र. मत्स्य उद्योग पुनरीक्षित अधिनियम 1981 में निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाना।</p> <p>म.प्र. मत्स्य उद्योग पुनरीक्षित अधिनियम 1981 के संबंध में मैदानी अधिकारियों को मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट करने वालों का उक्त अधिनियम का पालन करने हेतु निर्देशित करना।</p> <p>मछुआरों को भी नदी एवं जल संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षित करना तथा उन्हें भी इस संबंध में जिम्मेदारी दी जाना।</p> <p>मत्स्य पालन की नीति 2008 के निर्देश के अनुसार नदियों में प्राकृतिक मात्सिकी का संरक्षण एवं अभिवृद्धि हेतु सुझाव दिये जाना।</p>	11 मई, 2017
5.	नर्मदा घाटी विकास	नर्मदा तटों पर बड़े घाटों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाना।	11 मई, 2017

निरंतर....6/-

		<p>नर्मदा कैचमेंट एरिया में सघन सर्वे उपरांत वृहद स्तर पर तालाबों का निर्माण ताकि क्षेत्र में बहकर जाने वाले मिट्टी के कटाव को रोका जा सके।</p> <p>नर्मदा नदी पर स्थित एवं निर्माणाधीन बांधों के कारण नदी का परिस्थितिकीय बहाव बाधित न हो, यह सुनिश्चित करना।</p> <p>नर्मदा केचमेंट एरिया में सघन सर्वे उपरांत वृहद स्तर पर तालाबों का निर्माण कराना ताकि क्षेत्र में बहकर जाने वाली मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। केचमेंट एवं नदी जोड़ो क्षेत्र में तालाबों का निर्माण कराया जाना।</p> <p>नर्मदा किनारे रैन बसेरे का निर्माण करना।</p>	
6.	नगरीय विकास	<p>नगरीय क्षेत्रों में नर्मदा के घाटों पर कचरा एकत्रित करने हेतु कचरा पेटी स्थापित करना।</p> <p>नगर निगम के माध्यम से मृत पशुओं के खुले में फेंकने की प्रथा को रोकने हेतु मृत पशुओं के वैज्ञानिक निष्पादन हेतु इकाईयों की स्थापना करवाना।</p> <p>घाटों पर कपड़े, वाहन, पशुओं के नहलाने एवं स्नान में साबुन डिटर्जेंट के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना।</p> <p>Solid waste इकाईयों की स्थापना करवाना।</p> <p>घाटों पर सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना करना।</p> <p>नर्मदा घाटों का सौन्दर्यीकरण करना।</p> <p>शहरी क्षेत्र के अंतर्गत घाटों पर महिलाओं एवं पुरुषों हेतु कपड़े बदलने हेतु (Change Room) की स्थापना करना।</p> <p>सभी धर्मों के त्यौहारों पर मूर्तियों एवं ताजिये आदि के विसर्जन के लिये पृथक से विसर्जन कुण्ड एवं स्थान तैयार करना।</p> <p>नर्मदा में गंदे नालों को मिलने से रोकना।</p> <p>नर्मदा तटीय स्थलों पर शव को नर्मदा में जलदाग के स्थान पर अग्निदाग कर सकें इस हेतु मुक्तिधाम स्थापित करना।</p>	11 मई, 2017

निरंतर....7/-

		शहरी/नगरीय क्षेत्र के लिए नर्मदा तट पर निर्मित घाटों पर महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक-पृथक वस्त्र बदलने हेतु चेंजिंग रूम के साथ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना।	
7.	पशुपालन	<p>पशुओं को जंगल में चारा चरने हेतु खुला छोड़ने की प्रथा को रोकने हेतु कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन कराना।</p> <p>चारे की खेती हेतु कृषकों को प्रशिक्षित कर प्रोत्साहित करना।</p> <p>पशु चारे की नर्सरी स्थापित कर नर्मदा क्षेत्र में चारा उपलब्ध कराना (प्रत्येक विकासखण्ड एक)</p> <p>शुष्क पशुओं की ड्राय डेयरी यूनिट्स की स्थापना कर लोगों को यह संदेश देना कि दूधारू पशुओं के समान ही शुष्क पशु भी उपयोगी है। (प्रत्येक विकासखण्ड में एक)</p>	11 मई, 2017
8.	ग्रामोद्योग	<p>पेड़ों के पत्तों से दोने एवं पत्तले बनाने की इकाईयाँ स्थापित करवाना।</p> <p>मिट्टी से कुल्हड़ एवं प्लेट बनाने की आधुनिक छोटी-छोटी इकाईयाँ स्थापित करने की दिशा में कार्य करना।</p> <p>मिट्टी से मूर्तियाँ बनाने के संबंध में प्रशिक्षण कराना।</p> <p>रेशम कीट पालन हेतु कृषकों को जोड़ना।</p>	11 मई, 2017
9.	राजस्व	<p>नर्मदा एवं नर्मदा की अन्य सहायक नदियों की सीमाओं का सीमांकन करवा कर अतिक्रमण समाप्त करना।</p> <p>ग्रामीण/शहरी/नगरीय नर्मदा के घाटों की साफ-सफाई कराना।</p>	11 मई, 2017
10.	खनिज	<p>नदी की जल की शुद्धता एवं नदी के संरक्षण हेतु रेत के महत्व के संबंध में इस व्यवसाय में लगे लोगों को जागरूक करना।</p> <p>अवैध उत्खनन को पूर्णतः नियंत्रित करना।</p>	11 मई, 2017
11.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	<p>उद्यानिकी अपनाने हेतु लोगों से वचन पत्र भरवाना।</p> <p>एम.पी. एगो के माध्यम से गोबर एवं बायोगैस निर्माण के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण एवं गोबर एवं बायोगैस प्लांट्स का निर्माण करवाना।</p>	11 मई, 2017

निरंतर....8/-

	<p>फलों, फूलों एवं सब्जियों की खेती करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित कर उनके प्रसंस्करण की इकाईयों की स्थापना हेतु वातावरण का निर्माण करना।</p> <p>नर्मदा नदी के दोनों तटों से एक कि.मी. की दूरी में आगामी तीन वर्षों में 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल पौधे रोपण करना।</p> <p>फल, फूल, सब्जी, औषधी एवं सुगंधित फसलों के बीज एवं पौधे कृषकों को उपलब्ध हो सके इस हेतु ब्लॉक स्तर पर एक नर्सरी की स्थापना करना।</p> <p>कृषि फसल के प्रतिस्थापना के एवज में कृषकों को तीन वर्षों तक आर्थिक सहायता देना। योजना प्रावधाननुसार मनरेगा के तहत राशि उपलब्ध कराना। रखरखाव सहित फल पौधे रोपण योजना पांच वर्षों तक संचालित करना।</p>	
<p>12. पर्यावरण</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा पोलिथीन एवं स्टाईरो फोम को प्रतिबंधित किया है अतः पोलिथीन उपयोग के संबंध में अधिनियमों /नियमों का नर्मदा तटीय क्षेत्रों में पालन करवाना।</p> <p>उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्टों का अनिवार्यतः उपचार एवं सुरक्षित निपटारा सुनिश्चित करना।</p> <p>जल, नदी एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में प्रचलित अधिनियमों के संबंध में आमजनों को प्रशिक्षित करना।</p> <p>उद्योगों/कारखानों का बहाव (Effluents) एवं नालों के माध्यम से ग्रामों एवं शहरों के कचरे से नदी में मिलने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के संबंध में जागरूकता एवं स्थायी प्रचार-प्रसार व्यवस्था।</p> <p>नर्मदा तथा सहायक नदी क्षेत्रों में संचालित उद्योगों से निकलने वाले औद्योगिक अवशिष्ट/कचरे का उपचार उपरांत सुरक्षित निष्पादन कराना।</p> <p>नर्मदा तथा सहायक नदी क्षेत्रों में संचालित उद्योगों से निकलने वाले औद्योगिक अवशिष्ट/कचरे का उपचार उपरांत सुरक्षित निष्पादन।</p>	<p>11 मई, 2017</p>

निरंतर....9/-



13.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	सोलर एनर्जी के उपयोग हेतु जागरूकता।	11 मई, 2017
		नर्मदा नदी के किनारे सिंचाई के उद्देश्य से सोलर पम्प स्थापित करना।	
		नर्मदा नदी के किनारे शहर, कस्बों एवं गांवों में सौर ऊर्जा की रूफटॉफ परियोजनायें स्थापित करना।	
		नर्मदा नदी के किनारे स्थित धर्मशालाओं आदि में सौर गर्म जल संयंत्र स्थापित करना।	
		नर्मदा नदी के किनारे ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी. बल्ब एवं अन्य ऊर्जा दक्ष संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।	
		बायोमॉस आधारित ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना।	
14.	पर्यटन	नर्मदा किनारे पर्यटन विभाग के स्थित होटल्स में से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन करना।	11 मई, 2017
		पर्यटन हेतु सौर ऊर्जा नावों के उपयोग करने हेतु वातावरण तैयार करना।	
		नर्मदा किनारे कुछ ग्रामों/घाटों को चिन्हित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	
15.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	समस्त प्रकार के कचरे के निष्पादन हेतु छोटी-छोटी वैज्ञानिक तकनीकी को उपलब्ध कराना जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और कचरे को नदियों में मिलने से रोका जा सके।	11 मई, 2017
		नदी विज्ञान की नवीन विधा का विकास कर अनुसन्धान, नव ज्ञान सृजन, नव साहित्य सृजन।	
		नदी स्वास्थ्य संकेतक प्रारूप विकसित कर दीर्घ काल में नदी स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।	
16.	सामाजिक न्याय	नर्मदा तटीय क्षेत्रों में समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में कार्य करना।	नर्मदा सेवा मिशन के गठन पश्चात

निरंतर....10/-

